अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा।

पत्रांक : 1392 अ०

छपरा, दिनांक 12/11/18

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, छपरा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **सोनपुर**।

विषय :– **शीर्ष MMGSY NDB (BRICS) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन Package No.-MMGSY-NDB-BRRP-21-Sonpur तक पथ निर्माण कार्य के लिये (पथ के रख–रखाव सहित) निविदा की स्वीकृति (निविदा आई0डी0 सं0–64918)।**

प्रसंग :– **अभियन्ता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–BRRDA (HQ) MMGSY (NDB)-80/2018 926 अनु0 दिनांक 22.10.2018 एवं मुख्य अभियन्ता 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या 7729 अनु0 दिनांक 29.10.2018**

महाशय,

इस कार्य के लिये मुख्य अभियन्ता 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या **7729** अनु0 दिनांक **29.10.2018** से लॉटरी की प्रक्रिया से चयनित संवेदक **Sri Jawahar Lal Yadav, (बीड आई0डी0नं0–291801)** के उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से **10.0% कम है**, पर पथ के पॉच वर्ष तक रख–रखाव सहित कुल राशि **6,82,03,910=00 (छः करोड़ बेरासी लाख तीन हजार नौ सौ दस)** रूपये मात्र के लागत पर कार्यावंटन के फलस्वरूप विहित प्रक्रिया अन्तर्गत एकरारनामा की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारम्भ कराने के लिये आदेश अंकित किया जाता है।

2. दरों/निविदा स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है जो भविष्य में पूर्वावधारणा नही होगा।

3. निविदा स्वीकृति के संबंध में विस्तृत आदेश तुलनात्मक विवरणी पर अंकित है।

4. उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर एकरारनामा करने के लिए तीन दिनों के अंदर संवेदक को सूचित करेंगे तथा उनसे वांछित राशि एस0बी0डी0 क्लॉजों एवं निविदा शर्तो के अनुसार जमा कराकर सभी जमा राशि का संबंधित डाकघर/बैंक से हाथों–हाथ सत्यापन कराकर, ससमय कार्य पूरा करने का संवेदक से लिखित कार्यक्रम लेकर संवेदक के अभियन्ता के संबंध में पूर्ण विवरण प्राप्त कर तथा वांछित उद्यतन कागजातों का स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति प्राप्त कर मूल कागजातों से मिलान करते हुए एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारम्भ करावेंगे। नियत अवधि के अंदर संवेदक के द्वारा वांछित कागजात आदि समर्पित कर एकरारनामा की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियन्ता प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

5. निविदा की यह स्वीकृति प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति के विरूद्व है इसलिये आवंटन पत्र आदि में निहित निदेश/विभागीय निदेशों का अनुपालन करते हुए कार्य कराये जायेंगे।

6. निविदा के साथ अनुलग्न विशेष शर्त/निविदा सूचना में उल्लिखित शर्त, संवेदक के द्वारा प्रस्तुत कार्य पूरा करने का लिखित कार्यक्रम एवं मुख्य अभियन्ता 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यावंटन सम्बंधी पत्र एकरारनामा का भाग होगा जिसका कार्य के कार्यान्वयन में स्थल/प्रमंडलीय पदाधिकारी दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त कराये जाने वाले कार्यों के प्रत्येक मद में पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे यदि किसी मद में परिमाण अधिक पाये जाए तो कार्य वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप कराये जायेंगे लेकिन किसी भी हालत में बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के कार्य में वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

8. कार्य उपलब्ध आवंटन के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कार्य वृद्धि अथवा दायित्व का सृजन नहीं किया जाएगा।

9. कार्यारम्भ के पूर्व स्थल की वर्तमान स्थिति अभिलेखित किया जाएगा।

10. विभिन्न मदों के लिये स्वीकृत निविदा में फिनिस्ड दर उपबंधित है इसलिये किसी भी मद के विरूद्ध किसी प्रकार का अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11. कार्य हर हालत में स्वीकृति के अनुसार पूर्ण कराया जाएगा और इस सन्दर्भ में समय–समय पर निर्गत विभागीय निदेशों/आदेशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

12. कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की दूरी से कार्यपालक अभियन्ता स्वयं आश्वस्त हो लेंगे और यदि किसी सामग्री के लिये दूरी अधिक उपबंटित हो तो नियमानुकूल तरीके से दर गणना कर दर में कमी कर भुगतान किया जाएगा लेकिन किसी भी हालत में अधिक दूरी के लिये भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. कराये गये कार्य की प्रविष्टि शीर्ष, विशिष्ट आदि के साथ पंजी में की जाएगी।

14. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं कार्य के गुणवता संबंधी जांच फल प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जाएगा।

15. कार्य का एकरारनामा सम्पन्न होते ही विभागीय निदेशानुसार गुणवता जांच के लिए विस्तृत सूचना ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला छपरा, के कार्यपालक अभियन्ता को अनिवार्य रूप से दे देंगे।

16. कार्य समाप्ति की अवधि कार्य योजना के अनुसार **12 (बारह)** माह स्वीकृत किया जाता है और उक्त अवधि के अन्तर्गत संबेदक के द्वारा दिये गये कार्य योजना के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

17. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की 2री तारीख को अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में समर्पित करेंगे।

18. इस निविदा से संबंधित वित्तीय बीड के कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति जिसपर आदेश अंकित है अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुलग्न की जा रही है।

19. संविदा/मुख्य मंत्री ग्राम सर्म्पक सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य स्थल का वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराकर अभिलेखित करने के उपरान्त पथ में लोगों सहित सूचना पट्ट, सिटीजन पट्ट लगवा कर सेटींग आउट कराते हुए गुणवत्ता जाँच हेतु स्थल प्रयोगशाला स्थापित कराकर कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे तथा सम्पूर्ण पथ में पूरे चौड़ाई में मिट्टी का कार्य कैम्बर के साथ शत–प्रतिशत चपाई कराने के उपरान्त आगे का कार्य कराये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में संविदा शर्तों का विचलन स्वीकारणीय नही होगा तथा प्रारम्भिक कार्य कराये बिना पथ क्रस्ट के कार्य का विपत्र बनाना/भुगतान करना विभागीय निदेशों का उल्लंधन माना जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.11.18

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, छपरा।

12/11/18